



बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं० – 06/15-16

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं० –

(1) परिचायात्मक :-

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम :- एन० सी० सी० निदेशालय बिहार एवं झारखंड, पटना।

(ख) अंकेक्षण का लेखाअवधि :- वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक।

(ग) प्रशासी विभाग का नाम :- कला संस्कृति एवं युवा कल्याण विभाग।

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल –

(i) ब्रिगेडियर (Brigadier) एस० के० अनेजा, उप महानिदेशक

1.4.2010 से 23.1.2011 तक।

(ii) ब्रिगेडियर (Brigadier) के० पी० चौद, उप महानिदेशक

24.1.2011 से 29.9.2011 तक

(iii) मेजर जेनरल राज पाल सिंह

अपर महानिदेशक

30.9.2011 से 31.3.2013 तक।

(ङ) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का नाम पदनाम एवं कार्यकाल—

(A) लेफ्टिनेंट कर्नल एस० के० कहोय

1.4.2010 से 11.4.2010 तक।

(B) कर्नल एस० बी० सिन्हा

12.4.2010 से 18.4.2010 तक।

(C) कर्नल जे० पी० सिंह

19.4.2010 से 7.5.2010 तक।

(D) कर्नल एस० वी० सिन्हा

8.5.2010 से 4.8.2010 तक।

(E) कर्नल जे० पी० सिंह

5.8.2010 से 3.9.2010 तक।

(F) कर्नल एस० वी० सिंह

4.9.2010 से 22.11.2010 तक।

(G) कर्नल सुनील काल

23.11.2010 से 12.5.2011 तक।

(H) कर्नल एस० पी० सिन्हा

13.5.2011 से 31.5.2011 तक।

(I) कर्नल सुनील काला

1.6.2011 से 15.6.2011 तक।

(J) कर्नल एस० पी० सिन्हा

16.6.2011 से 3.7.2011 तक।

(K) कर्नल सुनील काला

4.7.2011 से 3.4.2012 तक।

(L) ले० कर्नल कुणाल सिन्हा

4.4.2012 से 9.7.2012 तक।

(M) के० कर्नल ए० के० दत्ता

10.7.2012 से 15.7.2012 तक।

(N) ले० कर्नल कुणाल सिन्हा

16.7.2012 से 6.11.2012 तक।

(O) ले० कर्नल ए० के० दत्ता

7.11.2012 से 2.12.2012 तक।

(P) ले० कर्नल कुनाल सिन्हा

3.12.2012 से 20.12.2012 तक।

(Q) ले० कर्नल ए० के० दत्ता

21.12.2012 से 13.1.2013 तक।

(R) ले० कर्नल कुनाल सिन्हा

14.1.2013 से 31.3.2013 तक।

(i) श्री कमलेश कुमार, उच्च वर्गीय लिपिक

1.4.2010 से 21.12.2012 तक।

(ii) श्री कमलेश कुमार, प्रधान लिपिक

22.12.2012 से 31.3.2013 तक।

(च) अंकेक्षण में सहयोग देने वाले पदाधिकारी, कर्मचारी का नाम, पदनाम।

(A) कर्नल अमित झा, निदेशक

(B) कर्नल एस0 के0 सिंह, संयुक्त निदेशक (राज्य)।

(C) श्री कमलेश कुमार, प्रधान लिपिक।

(घ) अंकेक्षकों का नाम :-

(i) शिव नाथ कुमार प्रसाद, वरीय अंकेक्षक-2

(ii) कुमारी हेमा सिंह, वरीय अंकेक्षक-2

(ज) अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि - 19.2.2015

(झ) अंकेक्षण समाप्ति तिथि - 6.5.2015

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस - 21 दिन

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :- अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "क" पर अंकित है।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र :-

(i) अंकेक्षण का प्रकार - सामान्य अंकेक्षण।

(ii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश सं0 एवं तिथि - ज्ञाप संख्या 3286 दि0-15.9.1960 एवं ज्ञापांक 126 दिनांक-20.10.2014 के निहित आदेश के आलोक में अंकेक्षण कार्य किया गया।

(iii) कार्यालय का कार्यक्षेत्र :-

एन० सी० सी० निदेशालय बिहार एवं झारखंड की स्थापना वर्ष 1948 में की गयी थी। इस कार्यालय का कार्य एवं मुख्य उद्देश्य युवको को सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए उनमें चरित्र, साहस, मैत्रीभाव, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्ष, दृष्टिकोण, साहसिक, क्रियाकलाप तथा खेल भावना और निःस्वार्थ सेवा के आदेशों को विकसित करना।

संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवको को एक ऐसी जनशक्ति का निर्माण करना जो सशस्त्र सेना सहित जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर सके, और राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तत्पर रहें।

(iv) वित्तीय समीक्षा :- आवंटन से प्राप्त राशि।

(v) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति :-

कोषागार से निकासी एवं जमा राशि का सत्यापन कोषागार के कम्प्यूटर से शत प्रतिशत किया गया एवं सही पाया गया।

(vi) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन की अनुपालन की स्थिति :- अप्राप्त।

महालेखाकार के अंकेक्षण एवं पूर्व निरीक्षण से सम्बन्धित अनुपालन प्रेषित नहीं किया गया।

(vii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन की अनुपालन की स्थिति - पूर्व का अंकेक्षण प्रतिवेदन से सम्बन्धित अभिलेख अप्रस्तुत रहा।

(3) वित्तीय समीक्षा :-

(i) आवंटन की स्थिति - आवंटन से अधिक की निकासी नहीं की गयी है। जिसके अवलोकन से ज्ञात हो गया कि वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2012-13 के बचत कालम में अंकित राशियों का प्रत्यार्पण परिशिष्ट "ख" के अभ्युक्ति कालम में अंकित पत्रांक एवं दिनांक द्वारा किया गया।

(ii) अनुदान की स्थिति – अनुदान से सम्बन्धित कोई राशि प्राप्त नहीं था।

(iii) प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग का प्रेषित किया गया था :-

अनुदान की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(iv) रोकड़ पुस्त में संवरण शेष के राशि का भौतिक सत्यापन की स्थिति :-

अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि – 19.2.2014 को विभागीय पत्रांक 503 दिनांक-29.01.1976 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संवरण रोकड़ का भौतिक सत्यापन किया गया एवं स्थिति निम्न है :-

कुल संवरण शेष – शून्य।

(क) नगद राशि – शून्य

(ख) बैंक खाता में कुल राशि – शून्य।

वैक चालू खाता न० – 1577500022

(सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया)

सी० डी० ए० विलडिंग पटना

(ग) बैंक खाता में सूद की राशि – शून्य

(घ) अग्रिम की राशि – शून्य

(ङ) असंयोजित अभिश्रव – शून्य

(च) अन्य (बैंक ड्राफ्ट वैक्स चेक आदि) – शून्य

कुल – शून्य

(v) रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति –

दिनांक 1.4.2010 का प्रारम्भण शेष - 1338.00

(क) बैंक चालू खाता - 1338.00

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, चालू खाता सं० - 1577500022

(ख) नगद - शून्य

दिनांक- 31.3.2011 की रोकड़ पुस्त की स्थिति :-

(क) बैंक चालू खाता - शून्य

(ख) नगद - शून्य

दिनांक-1.4.2011 की रोकड़ पुस्त की स्थिति :-

(क) बैंक चालू खाता - शून्य

(ख) नगद - शून्य

दिनांक - 31.3.2012 की रोकड़ पुस्त की स्थिति :-

(क) बैंक चालू खाता - शून्य

(ख) नगद - शून्य

दिनांक- 1.4.2012 की रोकड़ पुस्त की स्थिति :-

(क) बैंक चालू खाता - शून्य

(ख) नगद - शून्य

दिनांक- 31.3.2013 की रोकड़ पुस्त की स्थिति :-

(क) बैंक चालू खाता - शून्य

(ख) नगद - शून्य

(4) अंकेक्षित कार्यालय में स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की विवरणी :-

अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/एवं रिक्त पदों का विवरणी परिशिष्ट "ग" पर दृष्टव्य है।

भाग - 2

- (5) रूपया 6858.00 सष्ठम वेतन में गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान की गयी राशि वसूली योग्य :-

वेतन भुगतान पंजी एवं सम्बन्धित अभिलेखों, सेवा पुस्त के जॉच में पाया गया कि श्री शशिचन्द कुमार (नि० वर्गी० लिपिक) के सेवा पुस्त, पष्ठम वेतन निर्धारण तालिका, एवं अन्य अभिलेखों के जॉच में श्री कुमार के गलत वेतन निर्धारण होने के कारण अधिक राशि का भुगतान किया पाया गया। सेवा पुस्त में अंकित वेतन निर्धारण एवं अंकेक्षण के अनुसार वेतन का निर्धारण निम्न प्रकार है :-

क्र०	विवरणी	सेवा पुस्त के आधार	अंकेक्षण के दृष्टिकोण
1.	अपुनरीक्षित वेतनमान	3050-4590	3050-4590
2.	पुनरीक्षित वेतनमान (वेतन वैण्ड)	5200-20200	5200-20200
3.	पुनरीक्षित वेतनमान में (ग्रेड पे)	1900.00	1900.00
4.	अपुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 1.1.2006 का मूल वेतन	3125.00	3125.00
5.	1.1.2006 को प्राप्त मूल वेतन का 86%	2688.00	2688.00
6.	कॉलम 4 एवं 5 का योग	6060.00	5813.00
7.	पुनरीक्षित वेतन वैण्ड में निर्धारण	6060.00	5820.00
8.	पुनरीक्षित वेतन वैण्ड में ग्रेड वेतन	1900.00	1900.00
9.	कॉलम 7 एवं 8 का योग	7960.00	7720.00
10.	1.7.2006 का वेतन वृद्धि 3%	240.00	240.00
11.	कॉलम 9 एवं 10 का योग	8200.00	7960.00
12.	1.7.2007 का वेतन वृद्धि 3%	250.00	240.00

13.	कॉलम 11 एवं 12 का योग	8450.00	8200.00
14.	1.7.2008 का वेतनवृद्धि 3%	260.00	250.00
15.	कॉलम 13 एवं 14 का योग	8710.00	8450.00
16.	1.7.2009 का वेतन वृद्धि 3%	270.00	260.00
17.	कॉलम 15 एवं 16 का योग	8980.00	8710.00

वेतन निर्धारण वर्षवार विवरणी।

वर्ष / अवधि	सेवा पुस्त के आधार पर	अंकेक्षण के दृष्टिकोण	अन्तर राशि
1.4.2007	8200.00	7960.00	240.00
1.7.2007	8450.00	8200.00	250.00
1.7.2008	8710.00	8450.00	260.00
1.7.2009	8980.00	8710.00	270.00

अधिक भुगतान की राशि कुल रूपया 13928.00 पर आपत्ति निर्गत किया गया जिसके अनुपालन में बताया गया कि सम्बन्धित कर्मी श्री कुमार के वेतन विपत्र संख्या 24 दि० 11.7.2014 के द्वारा रूपया 6780.00 की वसूली कर ली गयी है जिसका सत्यापन किया गया अतः शेष कुल वसूली योग्य राशि $13,638.00 - 6780.00 = 6858.00$ रूपया वसूल कर ली जायेगी वसूली से सम्बन्धित विस्तृत विवरणी परिशिष्ट- घ पर संलग्न है।

अतः शेष राशि रूपया 6858.00 सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल कर तथा कुल राशि रू० 13638.00 सम्बन्धित शीर्ष के अन्तर्गत कोषागार में जमा की जायें तथा सूचना से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाये।

6. द्वितीय ए० एसी०पी० प्रोन्नति में गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान की गयी राशि रू० 642.00 वसूली योग्य :-

कर्मचारी के सेवा पुस्त वेतन भुगतान पंजी एवं कर्मचारी के प्रोन्नति से सम्बन्धित संचिका के जाँच क्रम में पाया गया कि श्री रविन्द्र कुमार, चालक को दिनांक-22.1.2009 को निदेशालय के कार्यालय आदेश सं० 7040 पर्स/स्टेट/एन०सी०सी० पार्ट III /10 दिनांक-1.4.2009 द्वारा द्वितीय ए० सी० पी० की स्वीकृति 22.1.2009 से स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान में की गयी थी। औपबधिक रूप से वेतन निर्धारण निम्नवत् किया गया था।

(क) अपुनरीक्षित वेतनमान — 4500-7000

5200-20200 ग्रेड पे — 2400

(ख) पुनरीक्षित पे वैड — 5200-20200 ग्रेड पे — 2800

क्र०	विवरणी	सेवा पुस्त के आधार पर	अंकेक्षण के दृष्टिकोण
1.	21.1.2009 का पुनरीक्षित वेतन	13220.00	13220.00
2.	एक वेतन वृद्धि 3% की दर से	400.00	400.00
3.	कालम 1 एवं 2 का योग	13620.00	13620.00
4.	ग्रेड पे का अन्तर 2800-2400	400.00	400.00
5.	कालम 3 एवं 4 का योग	14020.00	14020.00
6.	1.7.2009 का 3% वार्षिक वेतन वृद्धि	430.00	420.00
7.	कालम 5 एवं 6 का योग	14450.00	14440.00
8.	1.7.2010 का वार्षिक वेतन वृद्धि 3%	440.00	440.00
9.	कालम 7 एवं 8 का योग	14890.00	14880.00
10.	1.7.2011 का वार्षिक वेतन वृद्धि 3%	450.00	450.00
11.	कालम 9 एवं 10 का योग	15340.00	15330.00
12.	1.7.2012 का वार्षिक वेतन वृद्धि 3%	460.00	460.00

13.	कालम 11 एवं 12 का योग	15800	15790.00
-----	-----------------------	-------	----------

वेतन निर्धारण वर्षवार विवरणी।

अवधि	सेवा पुस्त के आधार पर	अंकेक्षण के दृष्टिकोण	अन्तर राशि
1.7.2009	14450.00	14440.00	10.00
1.7.2010	14890.00	14880.00	10.00
1.7.2011	15340.00	15330.00	10.00
1.7.2012	15800.00	15790.00	10.00

अतः वेतन निर्धारण से सम्बन्धित ज्ञापांक 3ए 2 वे0 पु0 16/09 -630 दिनांक-21.1.2010 वित्त विभाग, बिहार, पटना के कंडिका -9 में अंकित पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनवृद्धि की दर वेतन बैंड वेतन तथा अनुमान्य ग्रेड वेतन के योग का 3% होगा जिसे अगले 10 रूपयों के गुणक में पूर्णांकित किया जायेगा। इस गणना में पैसा में आने वाले भिन्नांक को नजर अंदाज कर दिया जायेगा। उक्त निर्देश का वेतन निर्धारण में अनुपालन नहीं किया गया।

गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान की गयी राशि 642.00 के सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में उत्तर दिया गया कि सम्बन्धित कर्मचारी से राशि वसूल कर ली जायेगी जिसकी विस्तृत विवरणी ड संलग्न। साथ ही उक्त राशि रू0 642.00 की वसूली सम्बन्धित/उत्तरदायी व्यक्ति से किया जाए अंकेक्षण अवधि के पूर्व एवं अद्यतन भुगतान की गयी राशि, सम्बन्धित कर्म से वसूल कर कोषागार में जमा कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाये।

भाग - III (सुझावात्मक)

7. स्थायी सामानों के भंडार का भौतिक सत्यापन करने का सुझाव :-

बिहार वित्त नियमावली भाग-1 के नियम 143 के अनुसार सभी सामग्रियों का भौतिक सत्यापन प्रतिवर्ष कम से कम एक बार करना चाहिए।

पुल नियम 144 के अनुसार सामग्रियों का सत्यापन का प्रमाण पत्र सत्यापन के साथ सूचीबद्ध होना चाहिए।

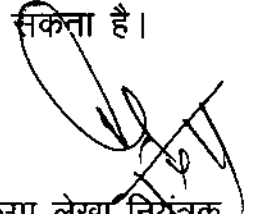
नियम 145 के अनुसार सत्यापन उस व्यक्ति की उपस्थिति में होनी चाहिए जो अभिरक्षा के लिए जिम्मेवार पदाधिकारी थे/सभी भिन्नताओं के सूचीबद्ध करना चाहिए।

कार्यालय के स्थायी सामानों को भौतिक सत्यापन कर यथाशीघ्र वित्त (अं०) विभाग को अवगत कराया जाये।

8. रोकड़ पुस्त में व्ययन पदाधिकारी को तिथि देकर हस्ताक्षर करने का सुझाव :-

वर्ष 2010-11 से 2012-13 के रोकड़ पुस्त के जॉच में पाया गया कि व्ययन पदाधिकारी के द्वारा बिना तिथि के हस्ताक्षर पाया गया जो नियम के विरुद्ध है। अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि व्ययन पदाधिकारी द्वारा तिथि के साथ हस्ताक्षर किया जाये।

एन०सी०सी० निदेशालय से सम्बन्धित अं० प्र० सं०- 06/15-16 में निहित तथ्यों एवं आंकड़ों की जॉच परिशिष्ट सहित किया गया। अनुमोदन किया जा सकता है।


उप लेखा नियंत्रक

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

बिहार, पटना।

मिलान एवं शुद्धिकर्ता का हस्ताक्षर

1. हेमा सिंह, व०अं०-

परिशिष्ट – “क” कंडिका – 1 (ट) से सम्बन्धित।

अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :-

(क) प्रस्तुत अभिलेखों की सूची :-

- (1) विपत्र पंजी वर्ष 2010-11 से 2012-13
- (2) रोकड़ पुस्त “ “
- (3) वेतन भुगतान पंजी “ “
- (4) आकस्मिक पंजी “ “
- (5) अस्थायी भंडार पंजी “ “
- (6) यात्रा भत्ता भुगतान पंजी वर्ष – 2010-11
- (7) यात्रा भत्ता विपत्र कार्यालय प्रति – 2010-11
- (8) बैंक विवरणी – 2010-11 से 2012-13
- (9) चेक पंजी – “ “
- (10) आवंटन पंजी – “ “
- (11) आवंटन से सम्बन्धित संचिका – “ “
- (12) अभिश्रव पंजी – “ “
- (13) सेवा पुस्त – “ “
- (14) कार्यालय व्यय का अभिश्रव – “ “
- (15) उपस्थिति पंजी – “ “
- (16) लॉगबुक (दुरभाष) – “ “
- (17) चतुर्थ वर्गी कर्मचारियों के विस्तृत विवरणी पंजी – “ “

- | | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| (19) रमितांस पंजी | — | " | " |
| (20) शासकीय डाक टिकट का पंजी | — | " | " |

(ख) अप्रस्तुत अभिलेख :-

- (1) अनुदान से सम्बन्धित संचिका
- (2) गाड़ी का लॉगबुक
- (3) स्थायी समान का भंडार पुस्त

परिशिष्ट – “ख” कंडिका – 3 (i) से सम्बन्धित।

आवंटन-व्यय विवरणी वित्तीय वर्ष – 2010-11

क्र० सं०	इकाई	आवंटन	व्यय	बचत	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	वेतन एवं अन्य भत्ता	39,91000.00	3640715.00	350285.00	पत्रांक 7050 /
2.	यात्रा भत्ता	20,000.00	3400.00	16600.00	स्टेट / 2010-11 /
3.	कार्यालय व्यय	50,000.00	14990.00	35010.00	285 दि०-7.4.11
4.	दूरभाष	15000.00	11787.00	3213.00	के आलोक में
5.	वर्दी	11000.00	5582.00	5418.00	प्रत्यार्पण हेतु प्रेषित
	कुल राशि –	4087000.00	3676474.00	410526.00	

आवंटन – व्यय विवरणी

वर्ष – 2011-12

क्र० सं०	इकाई	आवंटन	व्यय	बचत	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	वेतन एवं अन्य भत्ता	5067250.00	5017853.00	49397.00	पत्रांक 7050 /
2.	यात्रा भत्ता	8000.00	—	8000.00	स्टेट / 2011-12 /
3.	कार्यालय व्यय	40000.00	40000.00	—	1679 दि०-27.3.12
4.	दूरभाष	9000.00	4676.00	4324.00	के आलोक में
5.	वर्दी	22850.00	21695.00	1155.00	प्रत्यार्पण ।
6.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	9900.00	9883.00	17.00	
	कुल राशि –	51,57,000.00	5094107.00	62893.00	

आवंटन - व्यय विवरणी।

वर्ष - 2012-13

क्र० सं०	इकाई	आवंटन	व्यय	बचत	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	वेतन एवं अन्य भत्ता	5381000.00	4761343.00	619657.00	पत्रांक-7050 / स्टेट / 2012-13 / 05 दि०-03.3.2013 के आलोक में प्रत्यर्पण हेतु प्रेषित।
2.	यात्रा भत्ता	5000.00	-	5000.00	
3.	कार्यालय व्यय	126000.00	60000.00	66000.00	
4.	दूरभाष	10000.00	5849.00	4151.00	
5.	वर्दी	9000.00	7835.00	1165.00	
6.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	26000.00	24451.00	1549.00	
7.	मकान कर किराया महसूल	30000.00	26796.00	3204.000	
	कुल -	5587000.00	4886274.00	700726.00	

परिशिष्ट - "ग" कंडिका - 4 से सम्बन्धित।

स्वीकृत बल/कार्यरत/रिक्त पत्रों का विवरण :-

वर्ष - 2010-11

क्र० सं०	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	सहायक प्रशासी पदाधिकारी	02	00	02	
2.	प्रधान लिपिक	02	00	02	
3.	लिपिक	17	10	07	
4.	ड्राइवर	01	01	—	
5.	दफ्तरी	01	01	—	
6.	आदेशपाल	04	02	02	
7.	सफाईवाला	01	01	—	
	कुल -	28	15	13	

वर्ष - 2011-12

क्र० सं०	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	सहायक प्रशासी पदाधिकारी	02	01	01	
2.	प्रधान लिपिक	02	—	02	
3.	लिपिक	17	10	07	
4.	ड्राइवर	01	01	—	

5.	दफ्तरी	01	01	—	
6.	आदेशपाल	04	02	02	
7.	सफाईवाला	01	01	—	
	कुल —	28	16	12	

स्वीकृत बल/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण :-

वर्ष - 2012-13

क्र० सं०	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	सहायक प्रशासी पदाधिकारी	02	01	01	
2.	प्रधान लिपिक	02	02	—	
3.	लिपिक	17	04	13	
4.	ड्राइवर	01	01	—	
5.	दफ्तरी	01	01	—	
6.	आदेशपाल	04	03	01	
7.	सफाईवाला	01	01	—	
		28	13	15	

परिशिष्ट – 'घ' कंडिका – 5 से सम्बन्धित।

गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप कुल रु0 6858.00 का अधिक भुगतान वूसली योग्य :-

अवधि	भुगतान योग राशि				भुगतान की गयी राशि				अन्तर राशि		
	वेतन	म0भत्ता	मकान किराया	योग	वेतन	म0 भत्ता	मकान किराया	योग	अन्तर राशि	महीना	
1.4.2007 से 30.6.2007	7960.00	478.00	1194.00	9632.00	8200.00	492.00	1230.00	9922.00	290.00	X3	870.00
1.7.2007 से 31.12.2007	8200.00	738.00	1230.00	10,168.00	8450.00	761.00	1268.00	10479.00	311.00	X6	1866.00
1.1.2008 से 30.6.2008	8200.00	984.00	1230.00	10,414.00	8450.00	1014.00	1268.00	10732.00	318.00	X6	1908.00
1.7.2008 से 31.12.2008	8450.00	1352.00	1268.00	11070.00	8710.00	1394.00	1307.00	11411	341.00	X6	2046.00
1.1.2009 से 30.6.2009	8450.00	1859.00	1268.00	11577.00	8710.00	1916.00	1307.00	11933	356.00	X6	2136.00
1.7.2009 से 31.12.2009	8710.00	2351.00	1307.00	12368.00	8980.00	2425.00	1347.00	12752.00	384.00	X6	2304.00

1.1.2010 से 30.6.2010	8710.00	3049.00	1742.00	13501.00	8980.00	3143.00	1796.00	13919	418.00	X6	2508.00
	58,680.00	10,811.00	9,239.00	78,730.00	60,480.00	11,145.00	9,523.00	8,1148.00	2418.00		13,638. 00

वसूली योग्य राशि रूपया - 13,638.00

सम्बन्धित कर्मी से वेतन

विपत्र संख्या 24 दि० - 11.7.2014 के द्वारा रूपया 6780.00 वसूल कर ली गयी है। (-) 6780.00

वसूली योग्य अवशेष राशि रूपया - 6858.00

परिशिष्ट - 'ड'कंडिका - 6 से सम्बन्धित।

गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप कुल रू0 -642.00 का अधिक भुगतान वसूली योग्य :-

क्र0	अवधि	भुगतान योग राशि				भुगतान की गयी राशि				अन्तर राशि		
		वेतन	महगोई भत्ता	मकान किराया	योग	वेतन	महगोई भत्ता	मकान किराया	योग	राशि	महीना	कुल राशि
1.	1.4.2010 से 30.6.2010 D.A 35%	14440.00	5054.00	2888.00	22382.00	14450.00	5058.00	2890	22398. 00	16.00	X3	48.00
2.	1.7.2010 से 31.12.2010 D.A 45%	14880.00	6696.00	2976.00	24552.00	14890.00	6701.00	2978.00	24569. 00	17	X6	102.00
3.	1.1.2011 से 30.6.2011 D.A 51%	14880. 00	7589.00	2976.00	25445. 00	14890. 00	7594.00	2978.00	25462. 00	17	X6	102.00
4.	1.7.2011 से 31.12.2011 D.A 58%	15330. 00	8891.00	3066	27287. 00	15340. 00	8897.00	3068.00	27305. 00	18	X6	108.00
5.	1.1.2012 से	15330.00	9965.00	3066	28361.	15340.	9971.00	3068.00	28379.	18	X6	108.00

	30.6.2012 D.A 65%				00	00			00			
6.	1.7.2012 से 31.12.2012 D.A 72%	15790.00	11369. 00	3158	30317. 00	15800. 00	11376. 00	3160.00	30336. 00	19	X6	114.00
7.	1.1.2013 से 31.3.2013	15790. 00	12632. 00	3158	31580. 00	15800. 00	12640. 00	3160.00	31600. 00	20	X3	60.00
		106440.00	62196.00	21288.00	189924.00	106510.00	62237.00	21302.00	190049.00	125.00		642.00